प्रेस विज्ञप्ति
19/4/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने फ्लैट के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ललित टेकचंदानी नामक बिल्डर और उसके सहयोगियों से संबंधित अंबे वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसरों, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित 113.5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी पहले ही इस मामले में शेयरों/म्यूचुअल फंडों/सावधि जमाओं में 43 करोड़ रु. के निवेश को फ्रीज/जब्त कर चुका है।

ईडी ने भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि टेकचंदानी और अन्य लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में संभावित घर खरीदारों से भारी धन एकत्र किया।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया।

जांच के दौरान, ईडी ने ललित टेकचंदानी को 18.03.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उनसे पूछताछ से पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से बाहर निकलने के बावजूद मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की निकासी हो रही थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।